

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर (म0प्र0)
(कार्य-विभाजन आदेश)

कमांक/स्टेनो/2026

जबलपुर, दिनांक 25 जून 2026

मैं **अभिषेक सोनी**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर, जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए पूर्व में जारी समस्त आपराधिक कार्य विभाजन आदेश निरस्त करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों के प्रावधान के तहत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जबलपुर, जिला जबलपुर (म0प्र0) के अनुमोदन उपरांत जबलपुर जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों हेतु निम्नानुसार नवीन **दांडिक कार्य-विभाजन** आदेश जारी करता हूँ, जो कि दिनांक 01/07/2026 से अन्यथा आदेश तक प्रभावशील रहेगा :-

क	मजिस्ट्रेट	आरक्षी केन्द्र	क्षेत्राधिकार	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	अभिषेक सोनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	ओमती सिविल लाईन लार्डगंज	1- उपरोक्त आरक्षी केन्द्र द्वारा समस्त दांडिक प्रकरण (परिवाद प्रकरण धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आवेदन पत्र एवं महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आवेदन पत्र परिवाद प्रकरण तथा खात्मा प्रकरणों को छोड़कर) एवं समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न खारिजी प्रकरण। 2- आबकारी विभाग, श्रम विभाग, नापतोल विभाग, आर.टी.ओ. द्वारा प्रस्तुत समस्त दांडिक प्रकरण। 3- विशेष स्थापना सी0आई0डी0 पुलिस जबलपुर शाखा द्वारा प्रस्तुत होने वाले सभी दांडिक प्रकरण। 4- म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर म.प्र. द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र। 5- म.प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1981 के अन्तर्गत प्रस्तुत जबलपुर तहसील के सभी दांडिक प्रकरण। 6- सिनेमाटोग्राफी एक्ट, ड्रग्स कार्मेटिक एक्ट 1945 के अन्तर्गत जबलपुर जिले में प्रस्तुत होने वाले सभी दांडिक प्रकरण। 7- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित परिवाद/आपराधिक प्रकरण। 8- जबलपुर जिले में चलित न्यायालय लगाना। 9- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नोटिफिकेशन कमांक सी/419 जबलपुर दिनांक 19/1/18 द्वारा अधिसूचित जिलों से उदभूत स्पेशल टाइगर रिजर्व फोर्स यूनिट द्वारा प्रस्तुत मामले।	

			10. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्रं० ए/1816/II(STF)III-6-5-14 दिनांक 14.04.2022 द्वारा अधिसूचित जिलो से उदभूत एस.टी.एफ. (स्पेशल टास्क फोर्स) भोपाल द्वारा प्रस्तुत मामले। 11. कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक 42/दो-8-2/96 (एस. डब्ल्यू) जबलपुर दिनांक 24 फरवरी 2026 के अनुसार समस्त आरक्षी केन्द्रों के लीचिंग एवं भीड़ हिंसा से संबंधित प्रकरण। 12. जिला जबलपुर के समस्त संक्षिप्त विचारण के ऐसे मामले जिसमें ओवर लोडिंग 10 टन से अधिक हो। 13- वह समस्त न्यायिक कार्य जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के हैं, जिनका इस कार्यविभाजन आदेश में उल्लेख नहीं है।	
2	श्री रविन्द्र कुमार धुर्वे जे.एम.एफ.सी. जबलपुर		मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।	
3	श्रीमती रुचि गोलस सगर, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर		किशोर न्याय बोर्ड जबलपुर से संबंधित प्रकरण व कार्य	
4	श्रीमती शुभांगी पालो दत्त जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	गोरखपुर	1- उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण <u>महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर</u> एफ0आर0,परिवाद प्रकरण, 175(3)भा.ना.सु.सं. के आवेदन, प्रकरण। 2- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नोटिफिकेशन क्रमांक सी/419 जबलपुर दिनांक 19/01/2018 द्वारा अधिसूचित जिलो से उदभूत स्पेशल टाईगर रिजर्व फोर्स यूनिट जबलपुर द्वारा प्रस्तुत मामलो को छोड़कर वन-विभाग जबलपुर तथा जिला जबलपुर में वन विधि से उदभूत समस्त प्रकरण। 3- जी0एस0टी0 विभाग जबलपुर से उदभूत समस्त प्रकरण/परिवाद/आवेदनपत्र 4- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।	
5	श्री डी.पी. सूत्रकार जे.एम.एफ.सी. जबलपुर		1- माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक C/1796/III-6-2/2018 Jabalpur Dated 28-02-2025 के अनुसार एम.पी.और एम.एल.ए. से संबंधित मामले। 2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।	
6	सुश्री रेणु खेस जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	महिला थाना, गढ़ा, रांझी, हनुमानताल, कैट, पनागर, आधारताल, घमापुर,माढ़ोताल,	1- उक्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद प्रकरण, घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रकरण, द. प्र.सं. के अध्याय 09 के अन्तर्गत भरण पोषण के	

		खमरिया, तिलवारा के महिलाओं से संबंधित प्रकरण।	संबंध में प्रस्तुत प्रकरण, एवं उक्त धाराओं के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद प्रकरण, धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन। 2— दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128 मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 3— क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले महिलाओं से संबंधित ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो। 4— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।	
7	श्रीमती रश्मि मंडलोई ठाकुर जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	तिलवारा	1— उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण <u>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर)</u> एफ0आर0, परिवाद प्रकरण, 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, प्रकरण। 2— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।	
8	सुश्री वंदना सोनी जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	सिविल लाइन, कुंडम, माढ़ोताल, खमरिया, आधारताल, ओमती, अपराध थाना, व अन्य आरक्षी केन्द्र जो कार्य विभाजन पत्रक में शामिल न हो।	1— उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों से उदभूत परकाम्य लिखित अधि. एवं द पेयमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण। 2— सी.बी.आई./आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत प्रकरण/खात्मा/एवं उससे संबंधित परिवाद तथा धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन। 3— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।	
9	श्रीमती अंकिता शाही जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	गोहलपुर	1— उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण <u>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर)</u> एफ0आर0, परिवाद प्रकरण, 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, प्रकरण। 2— व्यापम से संबंधित मामले। 3— आरक्षी केन्द्र लार्डगंज से उदभूत परिवाद (महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर) परिवाद, धारा 175(3) बी.एन.एस.एस. के आवेदन एवं एवं खात्मा प्रकरण 4— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।	
10	सुश्री राखी साहू जे.एम.एफ.सी. जबलपुर		मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।	
11	श्री मंजुल सिंह जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	विजय नगर, खमरिया	1— उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण <u>(महिलाओं के विरुद्ध</u>	

			<u>उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर)</u> एफ0आर0,परिवाद प्रकरण, 175(3)भा.ना.सु.सं.के आवेदन, प्रकरण। 2- मुख्यालय जबलपुर क्षेत्राधिकार के ग्राम न्यायालय से संबंधित प्रकरण। 3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।	
12	सुश्री संध्या गर्ग जे.एम.एफ.सी. जबलपुर		मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।	
13	श्रीमती वंदना सिंह जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	रांझी, ग्वारीघाट, गोहलपुर, गढ़ा, मदन महल, कोतवाली, विजय नगर	1- उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों से उदभूत परकाम्य लिखित अधि. एवं द पेयमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण। 2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।	
14	डॉ. श्री गौरव गर्ग, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	हनुमानताल, घमापुर, गोरखपुर, गोरबाजार, संजीवनी नगर, तिलवारा, बरेला	1- उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों से उदभूत परकाम्य लिखित अधि. एवं द पेयमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण। 2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।	
15	श्री वेद प्रकाश सगर स्पेशल रेल्वे मजिस्ट्रेट/ जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	जी.आर.पी. आर.पी.एफ. विशेष रेल्वे अधिनियम	1- इंडियन रेल्वे प्रापर्टी (अन.ला.पुल पेजेशन एक्ट) के अन्तर्गत माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के नोटिफिकेशन क्रमांक A/1886 (Raolway) III-6-3/57-IX Dated 13-04-2023 अनुसार जबलपुर जिले से उदभूत होने वाले समस्त दांडिक प्रकरण। 2- आरक्षी केन्द्र जी.आर.पी. द्वारा प्रस्तुत समस्त दांडिक प्रकरण एवं परिवाद प्रकरण के किन्तु दं.प्र. सं. की धारा 235 के प्रकरणों को छोड़कर, धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन के प्रकरण। 3- विशेष रेल्वे अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले दांडिक प्रकरण (महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण को छोड़कर) 4- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 5- जिला मुख्यालय जबलपुर के समस्त आरक्षी केन्द्रों (तहसील सिहोरा एवं पाटन को छोड़कर) से उदभूत खान खनिज अधिनियम से संबंधित प्रकरण एवं खान खनिज विभाग जबलपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद/प्रकरण 6- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।	
16	श्री अरुण कुमार गोयल नगर निगम मजि./ न्या.मजि.प्र.श्रे. जबलपुर	पनागर,बरगी, कैंट	1- उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण <u>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा</u>	

			175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर) एफ0आर0,परिवाद प्रकरण (आरक्षी केन्द्र बरगी के परिवाद प्रकरणों को छोड़कर),175(3)भा.ना.सु.सं. के आवेदन, प्रकरण । 2— म.प्र. नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत जबलपुर नगर निगम क्षेत्राधिकार से उदभूत होने वाले एवं नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत पनागर, बरेला नगर पालिका क्षेत्र से उदभूत होने वाले समस्त दांडिक प्रकरण एवं परिवाद प्रकरण । 3— कैंटोनमेंट अधिनियम की धारा 281 के अन्तर्गत समस्त दांडिक प्रकरण एवं कंटोनमेंट सीमा जबलपुर की वसूली कार्यवाही । 4— जबलपुर नगर निगम एवं जबलपुर तहसील क्षेत्र से उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से उदभूत समस्त दांडिक प्रकरण । 6— मुख्यालय जबलपुर के थानों से उदभूत होने वाले पंचायत अधिनियम से संबंधित दांडिक प्रकरण एवं परिवाद प्रकरण । 7— आरक्षी केन्द्र सिविल लाइन से उदभूत परिवाद (महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर) परिवाद, धारा 175(3) बी.एन.एस.एस. के आवेदन एवं एवं खात्मा प्रकरण 8— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण ।	
17	श्री पंकज सविता जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	ग्वारीघाट, गढ़ा	1— उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण (महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर) एफ0आर0,परिवाद प्रकरण,175(3)भा.ना.सु.सं.के आवेदन, खात्मा प्रकरण । 2— आयकर, कस्टम एवं सेंट्रल एवं कंपनी अधिनियम से संबंधित प्रस्तुत प्रकरण । 3— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण ।	
18	श्रीमती दीपा पॉल जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	महिला थाना, गढ़ा, रांझी, हनुमानताल, कैंट, पनागर, आधारताल, घमापुर,माढोताल, खमरिया,तिलवारा को छोड़कर शेष आरक्षी केन्द्रों के महिलाओं से संबंधित प्रकरण ।	1— उक्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ,महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद प्रकरण,घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रकरण, द.प्र.सं. के अध्याय 09 के अन्तर्गत भरण पोषण के संबंध में प्रस्तुत प्रकरण, एवं उक्त धाराओं के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद प्रकरण, धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन । 2— दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128 मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।	

			3- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले महिलाओं से संबंधित ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो। 4- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।	
19	श्रीमती साहंगी दुग्गल जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	मदन महल	1- उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण <u>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर)</u> एफ0आर0/ खात्मा ,परिवाद प्रकरण,175(3)भा.ना.सु.सं.के आवेदन, प्रकरण। 2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।	
20	सुश्री श्वेता खरे जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	बेलबाग	1- उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण <u>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर)</u> एफ0आर0/ खात्मा ,परिवाद प्रकरण,175(3)भा.ना.सु.सं.के आवेदन, प्रकरण। 2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।	
21	सुश्री कीर्ति उईके जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	कुंडम	1- उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण <u>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर)</u> एफ0आर0/ खात्मा ,परिवाद प्रकरण,175(3)भा.ना.सु.सं.के आवेदन, प्रकरण। 2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।	
22	सुश्री अंकिता त्रिपाठी जे.एम.एफ.सी. जबलपुर		मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।	
23	सुश्री ऋचा बठेजा जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	कोतवाली	1- उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण <u>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर)</u> एफ0आर0,परिवाद प्रकरण,175(3)भा.ना.सु.सं.के आवेदन, खात्मा प्रकरण। 2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।	
24	श्रीमती हर्षिता जैन जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	रांझी	1- उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण <u>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर)</u> एफ0आर0,परिवाद प्रकरण,175(3)भा.ना.सु.सं.के आवेदन, खात्मा प्रकरण। 2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।	

25	श्री वरुण चौहान जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	मेड़ाघाट	1- उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण <u>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर)</u> एफ0आर0,परिवाद प्रकरण,175(3)भा.ना.सु.सं.के आवेदन, प्रकरण। 2- कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक 1178/चार-1-2/229(एस.डब्ल्यू.) दिनांक 18 मई 2026 एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के पत्र क्रमांक पी.आर./आई.टी.सी.एस.ए.)2026/92 जबलपुर दिनांक 15.05.2026 द्वारा वर्चुअल कोर्ट हेतु अधिकृत। 3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।
26	सुश्री नेहा सावनेर जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	हनुमानताल, सायबर काईम	1- उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण <u>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर)</u> एफ0आर0,परिवाद प्रकरण,175(3)भा.ना.सु.सं.के आवेदन,प्रकरण। 2- जबलपुर जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उदभूत आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण। 3- जबलपुर जिले के आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण 4- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।
27	श्री राहुल छत्री जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	माढ़ोताल	1- उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण <u>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर)</u> एफ0आर0,परिवाद प्रकरण, 175(3)भा.ना.सु.सं.के आवेदन, प्रकरण। 2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।
28	सुश्री पलक श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	गढ़ा यातायात आधारताल	1- उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण <u>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर)</u> एफ0आर0,परिवाद प्रकरण, 175(3) भा.ना.सु.सं.के आवेदन, प्रकरण। 2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।
29	सुश्री किरण वर्मा जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	संजीवनी नगर	1- उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण <u>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर)</u> एफ0आर0,परिवाद प्रकरण, 175(3)भा.ना.सु.सं.के आवेदन, प्रकरण। 2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।

			पर अंतरित प्रकरण ।	
30	श्री ऋषिराज मिश्रा न्या.मजि.प्र.श्रे. जबलपुर	लार्डगंज, कैंट, पनागर, बेलबाग, बरगी, मेड़ा गाट	1- उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों से उदभूत परक्राम्य लिखित अधि. एवं द पेयमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण । 2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण ।	
31	श्री स्वास्तिक सावंत जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	बरेला, अपराध थाना	1- उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण <u>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर)</u> एफ0आर0,परिवाद प्रकरण, 175(3)भा.ना.सु.सं.के आवेदन, प्रकरण । 2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण ।	
32	श्रीमती मीनाक्षी दांदेलिया खंडेलवाल जे.एम.एफ.सी. जबलपुर		मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण ।	
33	श्रीमती स्वाती रघुवंशी जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	गोराबाजार	1- उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण <u>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर)</u> एफ0आर0,परिवाद प्रकरण, 175(3) भा.ना.सु.सं.के आवेदन, प्रकरण । 2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण ।	
34	श्रीमती मेधा पुरोहित जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	घमापुर	1- उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण <u>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर)</u> एफ0आर0,परिवाद प्रकरण, 175(3)भा.ना.सु.सं.के आवेदन, प्रकरण । 2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण ।	
35	सुश्री शालिनी मिश्रा शुक्ला जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	यातायात शहर	1- उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण <u>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर)</u> एफ0आर0,परिवाद प्रकरण, 175(3)भा.ना.सु.सं.के आवेदन, प्रकरण । 2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण ।	
36	सुश्री प्रिंशु मिश्रा जे.एम.एफ.सी. जबलपुर		1- आरक्षी केन्द्र ओमती से उदभूत परिवाद <u>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर)</u> परिवाद, धारा 175(3) बी.एन.एस.एस.के आवेदन एवं एवं खात्मा प्रकरण 2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय	

			समय पर अंतरित प्रकरण ।	
37	सुश्री दीप्ती चौहान ज.एम.एफ.सी. जबलपुर	यातायात घमापुर	1- उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण <u>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर)</u> एफ0आर0, परिवाद प्रकरण, 175(3)भा.ना.सु.सं.के आवेदन, प्रकरण। 2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण ।	
38	सुश्री याशमी अग्रवाल ज.एम.एफ.सी. जबलपुर		1- आरक्षी केन्द्र बरगी से उदभूत परिवाद (महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर) परिवाद, धारा 175(3) बी.एन.एस.एस. के आवेदन एवं एवं खात्मा प्रकरण 2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण ।	
39	सुश्री ऋतु प्रजापति ज.एम.एफ.सी. जबलपुर	महिला थाना	1- उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण <u>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर)</u> एफ0आर0, परिवाद प्रकरण, 175(3)भा.ना.सु.सं.के आवेदन, प्रकरण। 2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण ।	
40	सुश्री मानसी अग्निहोत्री ज.एम.एफ.सी. जबलपुर		मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण ।	
41	सुश्री ऋतंभरा राजे ज.एम.एफ.सी. जबलपुर		मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण ।	
42	सुश्री श्रद्धा सिंह ज.एम.एफ.सी. जबलपुर		मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण ।	
43	सुश्री सिमरन गुप्ता ज.एम.एफ.सी. जबलपुर		मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण ।	
44	सुश्री अपर्णा सोनी ज.एम.एफ.सी. जबलपुर		मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण ।	
45	सुश्री सोनाली बंसल ज.एम.एफ.सी. जबलपुर		मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण ।	

पाटन

1-	सुश्री निधि जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाटन, जबलपुर	पाटन	1- आरक्षी केन्द्र द्वारा प्रस्तुत समस्त दांडिक प्रकरण परिवाद प्रकरण, धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आवेदन, धारा 138 निगो. इ.एक्ट के प्रकरण एवं म.प्र. आबकारी अधिनियम के	
----	--	------	--	--

			दांडिक प्रकरण। 2- तहसील न्यायालय पाटन के अन्तर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्र के महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक एवं परिवाद प्रकरण, खात्मा प्रकरण (जिनमें पीड़ित महिला हो), घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रकरण, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 10 के अन्तर्गत भरण पोषण के संबंध में प्रस्तुत प्रकरण, एवं उक्त धाराओं के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद प्रकरण, धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आवेदन। 3- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 से 147, मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 4- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 5- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
2-	सुश्री विजया भारती यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन, जबलपुर	बेलखेड़ा	1- आरक्षी केन्द्र द्वारा प्रस्तुत समस्त दांडिक प्रकरण <u>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर)</u> परिवाद प्रकरण, धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आवेदन, धारा 138 निगो.इ.एक्ट के प्रकरण एवं म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण। 2- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 3- तहसील पाटन के वन विधि से उदभूत परिवाद/प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण। 4- पाटन तहसील क्षेत्र से उत्पन्न <u>खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम</u> तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से उदभूत समस्त दांडिक प्रकरण, पाटन तहसील के आवश्यक वस्तु अधिनियम से उदभूत प्रकरण। 5- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं विशेष अधिसूचित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर तहसील पाटन पदस्थापना से संबंधित अन्य अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 6- <u>तहसील पाटन से उदभूत ग्राम न्यायालय से संबंधित प्रकरण।</u> 7- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
3	सुश्री मयूरी गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन, जबलपुर	चरगवों	1- आरक्षी केन्द्र द्वारा प्रस्तुत समस्त दांडिक प्रकरण <u>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर)</u> परिवाद प्रकरण, धारा 175(3) भारतीय नागरिक

			सुरक्षा संहिता के आवेदन, धारा 138 निगो.इं.एक्ट के प्रकरण एवं म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण। 2- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समयसमय पर अंतरित प्रकरण।	
4	श्रीमती संभावी सिंह कोपरिहा		1- तहसील पाटन के खनिज अधिनियम से संबंधित प्रकरण/परिवाद एवं खात्मा 2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।	
5	श्रीमती अमृता मिश्रा तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन, जबलपुर	शहपुरा	1- आरक्षी केन्द्र द्वारा प्रस्तुत समस्त दांडिक प्रकरण <u>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर)</u> परिवाद प्रकरण, धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आवेदन, धारा 138 निगो.इं.एक्ट के प्रकरण एवं म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण। 2- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।	
5	श्री नारायण यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन, जबलपुर	कटंगी	1- आरक्षी केन्द्र द्वारा प्रस्तुत समस्त दांडिक प्रकरण <u>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर)</u> परिवाद प्रकरण, धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आवेदन, धारा 138 निगो.इं.एक्ट के प्रकरण एवं म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण। 2- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।	

नोट :- माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय जबलपुर के आदेश क्रमांक 42/दो-8-2/96 (एस.डब्ल्यू.) जबलपुर दिनांक 24 फरवरी 2026 के अनुसार तहसील न्यायालय पाटन में लिचिंग एवं भीड हिंसा से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई हेतु वरिष्ठता क्रम में उपलब्ध व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पाटन को अधिकृत किया गया है।

सिहोरा

1	श्री अजय उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिहोरा, जबलपुर	सिहोरा, मझगवों	1- आरक्षी केन्द्र द्वारा प्रस्तुत समस्त दांडिक प्रकरण <u>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के</u>	
---	--	-------------------	--	--

			आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर) परिवाद प्रकरण, धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आवेदन, धारा 138 निगो.इं.एक्ट के प्रकरण एवं म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण। 2— क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 3— सिहोरा तहसील के वन विधि से उदभूत एवं खनिज अधिनियम से संबंधित प्रकरण/परिवाद। 4— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं विशेष अधिसूचित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के सुनवाई योग्य प्रकरण को छोड़कर तहसील सिहोरा पदस्थापना से संबंधित अन्य अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 5— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।
2	श्रीमती खालिदा तनवीर खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिहोरा, जबलपुर	गोसलपुर	1— आरक्षी केन्द्र द्वारा प्रस्तुत समस्त दांडिक प्रकरण (महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर) परिवाद प्रकरण, धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आवेदन, धारा 138 निगो.इं.एक्ट के प्रकरण एवं म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण। 2— क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 3— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।
3	श्रीमती हिमांशी ठाकुर भारद्वाज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिहोरा, जबलपुर	मझौली	1— आरक्षी केन्द्र द्वारा प्रस्तुत समस्त दांडिक प्रकरण परिवाद प्रकरण, धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आवेदन, धारा 138 निगो. इं.एक्ट के प्रकरण एवं म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण। 2— तहसील न्यायालय सिहोरा के अन्तर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्र के महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक एवं परिवाद प्रकरण, खात्मा प्रकरण (जिनमें पीड़ित महिला हो), घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रकरण, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 10 के अन्तर्गत भरण पोषण के संबंध में प्रस्तुत प्रकरण, एवं उक्त धाराओं के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद प्रकरण, धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आवेदन। 3— भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 से 147, मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 4— क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण।

			5- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण ।	
4	सुश्री रूपा मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिहोरा, जबलपुर	खितौला	1- आरक्षी केन्द्र द्वारा प्रस्तुत समस्त दांडिक प्रकरण <u>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, परिवाद एवं खात्मा प्रकरणों को छोड़कर)</u> परिवाद प्रकरण, धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आवेदन, धारा 138 निगो.इ.एक्ट के प्रकरण एवं म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण । 2- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण । 3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण ।	
5	श्री विशाल रिछारिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिहोरा, जबलपुर		1- आबकारी वृत्त शहपुरा द्वारा प्रस्तुत समस्त दांडिक प्रकरण । 2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण ।	
6	सुश्री दीपशिखा दांगी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिहोरा, जबलपुर		1- तहसील सिहोरा के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उदभूत आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण । 2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण ।	

नोट :- माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय जबलपुर के आदेश क्रमांक 42/दो-8-2/96 (एस.डब्ल्यू.) जबलपुर दिनांक 24 फरवरी 2026 के अनुसार तहसील न्यायालय सिहोरा में लिविंग एवं भीड हिंसा से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई हेतु वरिष्ठता क्रम में उपलब्ध व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिहोरा को अधिकृत किया गया है।

टीप एवं आवश्यक निर्देश :-

1. इस कार्य विभाजन आदेश से किसी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।
2. आवश्यक आपराधिक कार्य से तात्पर्य **पुलिस रिमाण्ड अथवा न्यायिक रिमाण्ड** कार्य धारा-478, 480 भा.ना.सु.सं. के तहत जमानत आवेदन एवं धारा-497,503 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत सुपुर्दगी आवेदन, हाजिरी माफी आवेदन का निराकरण, प्रोसेस पर हस्ताक्षर करना एवं आवश्यक कार्य के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया द्वारा निपटारे जाने वाले आपराधिक प्रकरण सम्मिलित होंगे, जिनमें अभियुक्त दोषसिद्धि का अभिवाक् करता है, तो जो मजिस्ट्रेट समरी पावर से सशक्त हैं, वह ऐसे समरी प्रकरणों का निराकरण कर सकेंगे तथा ऐसे प्रकरण उन्हीं के न्यायालय में दर्ज होंगे।

3. समस्त जे.एम.एफ.सी. यदि धारा -187(2) भा.ना.सु.सं. के तहत पुलिस रिमाण्ड स्वीकार करते हैं, तो आदेश की प्रतिलिपि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर को और आवश्यक रूप से भेजी जावे।
4. पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित निर्णय या आदेश के संबंध में **माननीय उच्च न्यायालय या माननीय अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय से ऐसे आपराधिक रिकार्ड** या आदेश प्राप्त होने पर, जो रिक्त न्यायालयों से संबंधित है, उनमें माननीय अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय के निर्णय/आदेश का परिपालन या निष्पादन योग्य कार्यवाही उन मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी, जिन मजिस्ट्रेट की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत वह आरक्षी केन्द्र आता है जिससे वह मामला उद्भूत हुआ या जिससे संबंधित वह अभिलेख/प्रकरण है तथा यदि वह पीठासीन अधिकारी अर्थात् मजिस्ट्रेट वर्तमान में पदस्थ हैं, तब निष्पादन योग्य कार्यवाही उन्हीं पदस्थ मजिस्ट्रेट के द्वारा की जायेगी।
5. ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट जिनका स्थानांतरण हो गया है, और उनकी न्यायालय रिक्त हो गयी है (ऐसे मजिस्ट्रेट जिनके स्थान पर नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट स्थानांतरण पर आये हों को छोड़कर) के द्वारा जारी **स्थायी गिरफ्तारी वारंट/समर्पण संबंधी** आवेदन का निराकरण या उनके द्वारा पारित निर्णय/आदेश के संबंध में प्रस्तुत आवेदन/प्रकरण उन्हीं मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा, जिनके समक्ष आवेदन से संबंधित प्रकरण लंबित है तथा यदि प्रकरण अभिलेखागार में है, तब गिरफ्तारी वारंट, स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाले या निर्णय/आदेश पारित करने वाले पीठासीन अधिकारी अर्थात् मजिस्ट्रेट वर्तमान में पदस्थ होकर कार्यरत है, तब उससे संबंधित कार्यवाही उन्हीं पदस्थ कार्यरत मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी अन्यथा ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही की जावेगी, जिनको संबंधित थाने (जिस थाना क्षेत्र का मामला है) का क्षेत्राधिकार आवंटित है।
6. **रिक्त न्यायालय के अपील, पुनरीक्षण, रिवीजन आदेश** के परिपालन में निष्पादन योग्य कार्यवाही, दस्तावेज से जमानत निरस्त कराये जाने संबंधी कार्यवाही, जिसमें थाना स्पष्ट नहीं हो रहा हो, के संबंध में जबलपुर न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री पलक श्रीवास्तव, तहसील न्यायालय सिहोरा में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री दीपशिखा दांगी, एवं तहसील न्यायालय पाटन में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती अमृता मिश्रा तिवारी द्वारा कार्यवाही संपादित की जायेगी।
7. आपराधिक प्रकरणों में वाहन सुपुर्दगी के मामलों में वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्रायविंग लायसेंस, परमिट या अन्य दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियाँ सुपुर्दगी प्रपत्र के साथ संलग्न की जाकर उक्त मामले में अभियोग-पत्र प्रस्तुत होने पर उसके साथ संलग्न की जावे।
8. म.प्र.ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996 की धारा 16 (1) व (2) के प्रावधानानुसार ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरण, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में सम्मिलित नहीं माने जावेगे। ग्राम न्यायालय से संबंधित आपराधिक प्रकरण न्यायिक अधिकारी ग्राम न्यायालय जबलपुर /पाटन के द्वारा ही लिया जायेगा।
9. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिन्हें समरी पावर प्राप्त हैं, वह अपने संबंधित आरक्षी केंद्रों की सीमा क्षेत्र में **चलित न्यायालय** लगा सकेंगे, जिसकी पूर्व सूचना माननीय

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर को प्रेषित करेंगे। उक्त चलित न्यायालय संक्षिप्त विचारण से संबंधित प्रकरणों के लिए लगाई जावे तथा उक्त चलित न्यायालयों को इस प्रकार लगाया जावे, जिससे कि न्यायालय का नियमित कार्य का संपादन प्रभावित ना हो।

10. **लंबित रिमांड पेपर्स से संबंधित अभियोग-पत्र** उन्हीं न्यायालयों में पेश किये जायेंगे, जिनके पास उपरोक्त कार्य विभाजन-पत्रक से संबंधित आरक्षी केंद्र का क्षेत्राधिकार दिया गया है, जब तक अलग से आदेश ना हो तथा ऐसी रिमाण्ड पत्रावली संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय में स्वतः अंतरित माने जावेंगे।
11. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय से प्रस्थान नहीं करेंगे, प्रस्थान करने के पूर्व इसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट को भी दूरभाष आदि के माध्यम से देंगे तथा अत्यावश्यक होने पर ई-मेल, फ़ैक्स आदि से आवेदन प्रेषित करेंगे।
12. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष प्रकरण इस कार्य विभाजन - पत्रक से प्रभावित नहीं रहेंगे।
13. ऐसे परिवाद/अभियोग पत्र जो **महिला के विरुद्ध कारित किए गए अपराधों के** संबंध में विशेष न्यायालय में पेश किये गये हैं, उन परिवादों/अभियोग पत्र को किसी भी प्रक्रम पर इस आधार पर वापिस नहीं लौटाया जावेगा कि उस परिवाद/अभियोग पत्र में महिला के विरुद्ध संज्ञान लिये जाने के पर्याप्त आधार नहीं है और अन्य अपराध का विचारण परिवाद/अभियोग पत्र में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से संबंधित न्यायालय करेगा। ऐसे परिवाद/अभियोग पत्र में आदेश उन शेष धाराओं में न्यायालय द्वारा ही किया जावेगा जिस न्यायालय में परिवाद पत्र/अभियोग पत्र उल्लेखित धाराओं के आधार पर पेश किया गया था। (उक्त निर्देश अन्य विशेष एवं सामान्य न्यायालय पर भी लागू होगा।)
14. इस कार्य विभाजन-पत्रक का प्रभाव उन प्रकरणों, परिवाद, विविध प्रकरण व आवेदनों पर नहीं पड़ेगा, जो संबंधित न्यायालय में पूर्व से लंबित है एवं जिनका निराकरण करने के लिए वह न्यायालय सक्षम है।
15. उपरोक्त कार्य विभाजन आदेश के बावजूद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर जिले में स्थित किसी भी आरक्षी केन्द्र अथवा अन्य विभाग से प्रस्तुत किये जाने वाले अभियोग-पत्रों व परिवाद-पत्रों का संज्ञान करने में सक्षम होंगे।
16. किसी न्यायालय के **पीठासीन अधिकारी के अवकाश के दौरान** उनके न्यायालय के अण्डर-ट्रायल अथवा 05 वर्ष अथवा उससे अधिक पुराने प्रकरणों में दूरस्थ जिले या अन्य राज्य से उपस्थित अनुसंधानकर्ता अधिकारी-चिकित्सक साक्षी या वृद्ध असमर्थ ऐसे साक्षी या वृद्ध, बीमार या अत्याधिक दूरी से आने वाले या सेवा शर्तों के कारण अवकाश ना मिलने या अत्यंत कष्टकारी, व्ययकारी या असुविधाजनक होने की स्थिति में ऐसे साक्षियों का साक्ष्य जिनकी पुनः उपस्थिति कठिन है, का साक्ष्य संबंधित प्रभार में होने वाले न्यायालय के पीठासीन अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित की जावेगी तथा ऐसे प्रकरण केवल उक्त कार्य हेतु इंचार्ज मजिस्ट्रेट को विधिवत् अंतरित किये गये समझे जाएंगे।

17. माननीय विशेष न्यायालयों से संबंधित मामलों में सार्वजनिक अवकाश की रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट प्रथम रिमाण्ड की कार्यवाही करने हेतु अधिकृत रहेंगे।
18. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी पृष्ठांकन क्रमांक डी-2495 जबलपुर दिनांक 10/4/2019 अनुसार न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध आरोपियों के संबंध में साक्ष्य/आरोप पत्र विरचना/आरोपी कथन से संबंधित कार्यवाही अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर **वीडियो कान्फ्रेंसिंग** के माध्यम से करावें।
19. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 196 (1-क) के अंतर्गत मृत्यु के कारण की **जॉच** उस मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी, जिसको इस हेतु माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय द्वारा अधिकृत किया जाएगा।
20. धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत **मृतक बंदियों की न्यायिक जॉच** से संबंधित अनुरोध पत्र केन्द्रीय कारागार जबलपुर से अथवा संबंधित आरक्षी केन्द्र से प्राप्त होने पर संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण अपने अधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्र के संबंध में विधिवत कार्यवाही अविलंब संपादित करेंगे। इस संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर द्वारा पृथक से कोई आदेश प्रसारित नहीं किया जायेगा।
21. **रिमांड ड्यूटी, वीडियो कान्फ्रेंसिंग**, धारा 183 एवं धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट यदि किसी कारणवश अवकाश पर रहने या अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेटगण का स्थानांतरण होने की स्थिति में उनके स्थान पर आए नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा न्यायालय रिक्त रहने की दशा में प्रभार अनुसूची कं. 01 के अनुसार रहेगा एवं वह विधि अनुसार कार्यवाही यथाशीघ्र संपादित करेंगे।
22. **तहसील सिहोरा एवं तहसील पाटन** में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने-अपने आरक्षी केन्द्रों के धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत न्यायिक अभिरक्षा में मृत बंदियों की न्यायिक जॉच संपादित करेंगे।
23. विशिष्ट क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट, माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देकर अपने दूर पर प्रस्थान करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण उन्हीं तिथियों पर नियत किये जावें, जिनमें मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर उपस्थित रहे तथा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम दो दिवस मुख्यालय में उपस्थित रहकर न्यायालयीन कार्य का निष्पादन करेंगे।
24. किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर जाने की दशा में **संक्षिप्त विचारण** के तहत अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार किये जाने मामले/प्रकरण अनुसूची कं. 01 के अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश होंगे और उसी न्यायालय में पंजीबद्ध किये जावेंगे। पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने तथा स्थानांतरण हो जाने की दशा में जब तक उनके स्थान पर नये अधिकारी पदभार ग्रहण नहीं करते, तब तक अनुसूची कं. 01 में वर्णित प्रभारी मजिस्ट्रेट स्थानांतरित अधिकारी के क्षेत्राधिकार में

आने वाले संपूर्ण मामले सीधे अपने न्यायालय में ग्रहण कर पंजीबद्ध करेंगे और विधि अनुसार कार्यवाही करेंगे ।

25. यदि किसी आपराधिक प्रकरण में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, तो उससे संबंधित पूरक अभियोगपत्र संबंधित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं होगा यदि मूल प्रकरण किसी अन्य क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय में लंबित है तो ऐसे प्रकरणों के पूरक अभियोगपत्र से संबंधित समस्त कार्यवाही(रिमांड/पुलिस रिमांड, अनुमति आदि) उसी न्यायालय द्वारा की जावेगी एवं संबंधित पूरक अभियोगपत्र भी उसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा जहाँ मूल प्रकरण लंबित है। ऐसे मामलों में जिसमें मूल प्रकरण माननीय सेशन न्यायालय उपार्पित हो चुका है, पूरक अभियोगपत्र एवं उससे संबंधित समस्त कार्यवाही संबंधित थाने की क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा की जावेगी।
26. अनुसूची क.-1, अनुसूची क.- 2, अनुसूची क. 03 एवं अनुसूची क.04 कार्यविभाजन पत्रक के ही अंग होंगे ।
27. इस आदेश के संबंध में किसी भी भ्रम या अस्पष्टता की दशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर को संदर्भित कर उसके संबंध में सुझाव/मार्गदर्शन लिया जाये। यह आपराधिक कार्य विभाजन संबंधी आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत दिनांक से प्रभावशील माना जावेगा।

(अभिषेक सोनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

अनुमोदित


(कृष्णमूर्ति मिश्र)

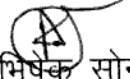
प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक /2026
प्रतिलिपि :-

जबलपुर, दिनांक 25/06/2026

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, जिला जबलपुर।
- 3- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जबलपुर/पाटन/सिहोरा, जिला जबलपुर ।
- 4- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम/द्वितीय श्रेणी, जबलपुर/पाटन/सिहोरा, जिला जबलपुर।
- 5- कलेक्टर, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 6- पुलिस अधीक्षक, जबलपुर की ओर संबंधित थानों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित ।
- 7- जिला आबकारी अधिकारी, जिला जबलपुर।
- 8- क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जबलपुर
- 9- अभियोजन अधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, जिला जबलपुर ।

- 10- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ/पाटन/सिहोरा/जबलपुर, जिला जबलपुर ।
- 11- आयुक्त, नगर पालिका निगम, जबलपुर
- 12- नियंत्रक, नापतौल विभाग जबलपुर
- 13- प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय जबलपुर
- 24- जेल अधीक्षक, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, केन्द्रीय जेल, जबलपुर, जिला जबलपुर।
- 25- फाइलिंग अनुभाग, जिला न्यायालय, जिला जबलपुर।
- 26- प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
- 27- प्रवर्तन लिपिक, न्यायालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, /मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला जबलपुर।


(अभिषेक सोनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

/// अनुसूची कमांक- 01 ///

1- जिला मुख्यालय जबलपुर, सिहोरा एवं पाटन हेतु अनुसूची के 01 के कालम नं. 02 में उल्लेखित सी.जे.एम./न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अवकाश पर रहने की स्थिति में अथवा अत्यावश्यक ड्यूटी में व्यस्त होने पर सूची अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रभारी अत्यावश्यक न्यायालयीन कार्य को निष्पादित करेंगे इसके पश्चात् भी यदि ऐसी स्थिति निर्मित होती है, कि कालम कमांक 03, 04, 05 एवं 06 के सभी न्यायिक अधिकारी अवकाश पर रहते हैं, तो कालम कमांक-06 के पीठासीन अधिकारी का कार्य प्रभार देखने वाले न्यायिक अधिकारी द्वारा कार्य निष्पादित किया जावेगा, यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

2- अत्यावश्यक प्रकृति के मामले में ऐसे समस्त मामले भी शामिल होंगे, जिनमें संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा आरोपी अपराध की स्वीकारोक्ति चाहता है। अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों में वह मामले शामिल नहीं होंगे, जो पहले से किसी न्यायालय में लंबित हो।

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी	चतुर्थ प्रभारी
1	2	3	4	5	6
1	श्री रविन्द्र कुमार धुर्वे	श्री वरुण चौहान	सुश्री नेहा सावनेर	सुश्री रेणु खेस	सुश्री संध्या गर्ग
2	श्री अभिषेक सोनी	श्रीमती साहंगी दुग्गल	श्री अरुण कुमार गोयल	श्री ऋषिराज मिश्रा	श्री मंजुल सिंह
3	श्रीमती रुचि गोलस सगर	प्रथम सदस्य	द्वितीय सदस्य		
4	श्रीमती शुभांगी पालो दत्त	सुश्री पलक श्रीवास्तव	श्री डी.पी. सूत्रकार	श्री डॉ. गौरव गर्ग	सुश्री हर्षिता जैन
5	श्री डी0पी0 सूत्रकार	सुश्री संध्या गर्ग	सुश्री दीपा पॉल	श्रीमती पलक श्रीवास्तव	डॉ. श्री गौरव गर्ग
6	कु. रेणु खेस F	सुश्री दीपा पॉल	श्रीमती रश्मि मंडलोई ठाकुर	श्रीमती स्वाती रघुवंशी	श्रीमती शुभांगी पालो दत्त
7	श्रीमती रश्मि मंडलोई ठाकुर	श्री राहुल छत्री	सुश्री नेहा सावनेर	श्री वरुण चौहान	सुश्री वंदना सोनी
8	सुश्री वंदना सोनी 138	श्री ऋषिराज मिश्रा	श्री डॉ. गौरव गर्ग	श्रीमती वंदना सिंह	सुश्री नेहा सावनेर
9	श्रीमती अकिता शाही	श्रीमती किरण वर्मा	सुश्री साहंगी दुग्गल	श्री स्वास्तिक सावंत	श्री वरुण चौहान
10	सुश्री नेहा सावनेर	श्रीमती रश्मि मंडलोई ठाकुर	सुश्री स्वाती रघुवंशी	श्री अरुण कुमार गोयल	श्रीमती पलक श्रीवास्तव
11	सुश्री राखी साहू	अवकाश पर हैं			
12	श्री मंजुल सिंह	श्रीमती अकिता शाही	श्रीमती किरण वर्मा	श्रीमती साहंगी दुग्गल	श्री वेद प्रकाश सगर
13	सुश्री संध्या गर्ग	श्री डी.पी.सूत्रकार	श्रीमती हर्षिता जैन	श्री राहुल छत्री	सुश्री दीपा पॉल
14	श्रीमती वंदना सिंह 138	डॉ0 श्री गौरव गर्ग	सुश्री वंदना सोनी	श्री वेद प्रकाश सगर	श्रीमती स्वाती रघुवंशी
15	डॉ. श्री गौरव गर्ग 138	श्रीमती वंदना सिंह	श्री ऋषिराज मिश्रा	सुश्री वंदना सोनी	श्री राहुल छत्री
16	श्री वेद प्रकाश सगर	श्रीमती हर्षिता जैन	श्रीमती पलक श्रीवास्तव	सुश्री दीपा पॉल	श्री ऋषिराज मिश्रा
17	श्री अरुण कुमार गोयल	श्री ऋषिराज मिश्रा	श्री मंजुल सिंह	श्रीमती किरण वर्मा	श्रीमती साहंगी दुग्गल
18	श्री पंकज सविता	सुश्री श्वेता खरे	सुश्री दीप्ती चौहान	सुश्री अकिता त्रिपाठी	सुश्री श्रद्धा सिंह
19	सुश्री दीपा पॉल F	सुश्री रेणु खेस	श्री रविन्द्र कुमार धुर्वे	सुश्री संध्या गर्ग	श्री अरुण कुमार गोयल
20	श्रीमती साहंगी दुग्गल	सुश्री नेहा सावनेर	श्रीमती अकिता शाही	श्री मंजुल सिंह	श्री डी पी सूत्रकार
21	सुश्री श्वेता खरे	सुश्री प्रिंशु मिश्रा	श्री पंकज सविता	सुश्री याशमी अग्रवाल	सुश्री कीर्ति उईके
22	सुश्री कीर्ति उईके	सुश्री ऋतंभरा राजे	श्रीमती संध्या गर्ग	सुश्री मानसी अग्निहोत्री	सुश्री सोनाली बंसल
23	सुश्री अकिता त्रिपाठी	सुश्री ऋचा बठेजा	श्रीमती मेघा पुरोहित	सुश्री अपर्णा सोनी	श्रीमती शालिनी मिश्रा शुक्ला
24	सुश्री ऋचा बठेजा	सुश्री दीप्ती चौहान	सुश्री अकिता त्रिपाठी	सुश्री ऋतु प्रजापति	सुश्री श्वेता खरे
25	श्रीमती हर्षिता जैन	श्रीमती शुभांगी पालो दत्त	श्रीमती वंदना सिंह	श्रीमती अकिता शाही	श्री स्वास्तिक सावंत
26	श्री वरुण चौहान	श्री रविन्द्र धुर्वे	श्री राहुल छत्री	श्रीमती रश्मि मंडलोई ठाकुर	श्रीमती वंदना सिंह
27	श्री राहुल छत्री	श्री मंजुल सिंह	श्रीमती रश्मि मंडलोई ठाकुर	श्री रविन्द्र धुर्वे	श्रीमती रश्मि मंडलोई ठाकुर
28	श्रीमती पलक श्रीवास्तव	श्री वेद प्रकाश सगर	श्रीमती शुभांगी पालो दत्त	श्रीमती हर्षिता जैन	श्रीमती अकिता शाही
29	श्रीमती किरण वर्मा	अरुण कुमार गोयल	श्रीमती अकिता शाही	श्रीमती साहंगी दुग्गल	सुश्री रेणु खेस

30	श्री ऋषिराज मिश्रा 138	सुश्री वदना सोनी	सुश्री रेणु खेस	श्रीमती शुभांगी पालो दत्त	सुश्री कीर्ति उईके
31	श्री स्वास्तिक सावंत	श्रीमती स्वाती रघुवंशी	श्री वरुण चौहान	सुश्री नेहा सावेनर	श्रीमती किरण वर्मा
32	श्रीमती मीनाक्षी दांदेलिया खण्डेलवाल	अवकाश पर हैं			
33	श्रीमती स्वाती रघुवंशी	श्री स्वास्तिक सावंत	श्री वेद प्रकाश सगर	श्री डी पी सूत्रकार	सुश्री ऋतभरा राजे
34	सुश्री मेधा पुरोहित	सुश्री सिमरन गुप्ता	सुश्री याशमी अग्रवाल	सुश्री सोनाली बंसल	श्रीमती ऋचा बठेजा
35	श्रीमती शालिनी मिश्रा शुक्ला	श्रीमती मेधा पुरोहित	सुश्री सोनाली बंसल	सुश्री ऋतभरा राजे	सुश्री मानसी अग्निहोत्री
36	सुश्री प्रिन्शु मिश्रा	सुश्री ऋतु प्रजापति	सुश्री ऋतभरा राजे	सुश्री श्वेता खरे	सुश्री अकिता त्रिपाठी
37	सुश्री दीप्ती चौहान	श्री पंकज सविता	सुश्री ऋचा बठेजा	श्रीमती शालिनी मिश्रा शुक्ला	सुश्री याशमी अग्रवाल
38	सुश्री याशमी अग्रवाल	सुश्री श्रद्धा सिंह	सुश्री श्वेता खरे	सुश्री प्रिन्शु मिश्रा	श्रीमती मेधा पुरोहित
39	सुश्री ऋतु प्रजापति	सुश्री अकिता त्रिपाठी	सुश्री अपर्णा सोनी	श्रीमती ऋचा बठेजा	श्रीमती शालिनी मिश्रा शुक्ला
40	सुश्री मानसी अग्निहोत्री	श्रीमती शालिनी मिश्रा शुक्ला	सुश्री प्रिन्शु मिश्रा	सुश्री श्रद्धा सिंह	सुश्री ऋतु प्रजापति
41	सुश्री ऋतभरा राजे	सुश्री कीर्ति उईके	सुश्री मानसी अग्निहोत्री	सुश्री ऋतभरा राजे	श्री रविन्द धुर्वे
42	सुश्री श्रद्धा सिंह	सुश्री याशमी अग्रवाल	सुश्री सिमरन गुप्ता	सुश्री कीर्ति उईके	सुश्री प्रिन्शु मिश्रा
43	सुश्री सिमरन गुप्ता	सुश्री मानसी अग्निहोत्री	सुश्री शालिनी मिश्रा शुक्ला	सुश्री मेधा पुरोहित	सुश्री अपर्णा सोनी
44	सुश्री अपर्णा सोनी	सुश्री सोनाली बंसल	सुश्री ऋतु प्रजापति	सुश्री दीप्ती चौहान	सुश्री सिमरन गुप्ता
45	सुश्री सोनाली बंसल	सुश्री अपर्णा सोनी	सुश्री श्रद्धा सिंह	श्री पंकज सविता	सुश्री दीप्ती चौहान

तहसील न्यायालय पाटन

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी	चतुर्थ प्रभारी
1	सुश्री निधि जैन	सुश्री विजया भारती यादव	श्रीमती मयूरी गुप्ता	श्रीमती शंभागी सिंह	श्रीमती अमृता मिश्रा तिवारी
2	सुश्री विजया भारती यादव	सुश्री निधि जैन	श्रीमती अमृता मिश्रा	श्रीमती मयूरी गुप्ता	श्री नारायण यादव
3	श्रीमती मयूरी गुप्ता	श्रीमती शंभावी सिंह	श्री नारायण यादव	सुश्री निधि जैन	सुश्री विजय भारती यादव
4	श्रीमती शंभावी सिंह कोपरिहा	श्रीमती अमृता मिश्रा	सुश्री विजया भारती	श्री नारायण यादव	श्रीमती मयूरी गुप्ता
5	श्रीमती अमृता मिश्रा तिवारी	श्री नारायण यादव	श्रीमती शंभावी सिंह	सुश्री विजया भारती यादव	सुश्री निधि जैन
6	श्री नारायण यादव	श्रीमती मयूरी गुप्ता	सुश्री निधि जैन	श्रीमती अमृता मिश्रा	श्रीमती शंभावी सिंह

तहसील न्यायालय सिहोरा

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी	चतुर्थ प्रभारी
1	श्री अजय उईके	श्रीमती खालिदा तनवीर खान	श्रीमती हिमाशु ठाकुर भारद्वाज	श्रीमती रुपा मिश्रा	सुश्री दीपशिखा दांगी
2	श्रीमती खालिदा तनवीर खान	श्री अजय उईके	सुश्री दीपशिखा दांगी	श्री विशाल रिछारिया	श्रीमती हिमाशी ठाकुर भारद्वाज
3	श्रीमती हिमाशी ठाकुर भारद्वाज	श्री विशाल रिछारिया	श्री अजय उईके	श्रीमती खालिदा तनवीर खान	सुश्री दीपशिखा दांगी
4	सुश्री रुपा मिश्रा	सुश्री हिमाशी ठाकुर भारद्वाज	श्रीमती खालिदा तनवीर	सुश्री दीपशिखा दांगी	श्री अजय उईके
5	श्री विशाल रिछारिया	सुश्री दीपशिखा दांगी	श्रीमती हिमाशी ठाकुर भारद्वाज	श्री अजय उईके	श्रीमती खालिदा तनवीर
6	सुश्री दीपशिखा दांगी	श्रीमती रुपा मिश्रा	विशाल रिछारिया	सुश्री हिमाशी ठाकुर	श्रीमती हिमाशी ठाकुर भारद्वाज

नोट :-

1- प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड के स्थानांतरण हो जाने अथवा उनके अवकाश पर रहने पर किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य द्वारा कार्य संपारित किया जायेगा तथा किन्ही कारणवश यदि सदस्यगण भी अवकाश पर रहते हैं अथवा सदस्यों का पद रिक्त हो जाता है तो ऐसी दशा में कमश: श्री वरुण चौहान जे.एम.एफ.सी./श्रीमती अंकिता शाही जे.एम.एफ.सी./श्रीमती साहंगी दुग्गल जे.एम.एफ.सी. द्वारा किशोर न्याय बोर्ड का कार्य संपादित किया जायेगा।

// अनुसूची क्रमांक-02 //

महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले अपराधों एवं लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित अपराधों के धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के **कथन को छोड़कर** शेष अपराधों के संबंध में धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन अंकित किये जाने हेतु कालम क्रमांक 02 में दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है :-

क्र.	आरक्षी केन्द्र	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
01	02	03	04	05
1	ओमती, सिविल लाईन, लार्डगंज, नया अपराध शाखा, जबलपुर सायबर काईम, अपराध थाना	श्रीमती मीनाक्षी दंदोलिया खंडलेवाल	सुश्री याशमी अग्रवाल	श्री राहुल छत्री
2	भेड़ाघाट, रांझी, ए.टी.एस./ एस.टी.एफ., सी.बी.आई., सी.आई.डी., आर्थिक अपराध एवं व्यापम से प्रस्तुत मामले	सुश्री सख्या गर्ग	सुश्री श्रद्धा सिंह	श्रीमती शालिनी मिश्रा शुक्ला
3	जी.आर.पी., आर.पी.एफ., कंट. विशेष रेल्वे अधिनियम, विजय नगर, माढोताल, खमरिया, मदन महल	श्री डी.पी. सूत्रकार	सुश्री सोनाली बसल	सुश्री प्रिंशु मिश्रा
4	आधारताल, बरगी, पनागर, तिलवारा	सुश्री ऋचा बठेजा	सुश्री ऋतंभरा राजे	सुश्री दीप्ती चौहान
5	एस.सी./एस.टी., कोतवाली, हनुमानताल, बेलबाग, सजीवनी नगर	श्रीमती हर्षिता जैन	सुश्री मानसी अग्निहोत्री	श्रीमती रश्मि मडलोई ठाकुर
6	गोरखपुर, गोहलपुर, बरेला, घमापुर, महिला थाना	सुश्री अकिता त्रिपाठी	सुश्री सिमरन गुप्ता	श्रीमती किरण वर्मा
7	कुंडम, गढ़ा, ग्वारीघाट, गौराबाजार	श्रीमती शालिनी मिश्रा शुक्ला	सुश्री याशमी अग्रवाल	सुश्री ऋतु प्रजापति
8	पाटन, बेलखेडा, चरगवों	श्रीमती शंभावी सिंह	सुश्री विजया भारती यादव	सुश्री मयूरी गुप्ता
9	शहपुरा	श्री नारायण यादव	सुश्री मयूरी गुप्ता	सुश्री विजय भारती यादव
10	कटंगी	सुश्री विजय भारती यादव	श्रीमती अमृता मिश्रा तिवारी	सुश्री मयूरी गुप्ता
11	गोसलपुर, सिहोरा मझगवों	श्री विशाल रिछारिया	सुश्री दीपशिखा दागी	श्रीमती हिमांशी ठाकुर
12	मझौली, खितौला	सुश्री दीपशिखा दागी	श्री विशाल रिछारिया	श्रीमती खालिदा तनवीर खान

नोट :-

- उपरोक्तानुसार धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कथन लिपिबद्ध करने हेतु अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में उनके प्रभार अनुसार मजिस्ट्रेट कथन ले सकेंगे। धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताके तहत कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र का मामला कथन हेतु पेश हो तो क्रमशः अगले प्रभारी कथन लेंगे।
- किन्ही कारणवश किसी आरक्षी केन्द्र का नाम छूट जाता है या किसी आरक्षी केन्द्र का नवीन रूप से गठन होता है तो उक्त आरक्षी केन्द्र के धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताके कथन (महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले अपराधों एवं लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के कथन को छोड़कर) **श्रीमती मीनाक्षी दंदोलिया खंडलेवाल, जेएमएफसी जबलपुर** द्वारा लिये जायेंगे।
- उपरोक्त तालिका मे यदि कालम नंबर 03,04, एवं 05 में नामांकित सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाशपर रहते हैं तो उनके स्थान **श्री डॉ० श्री गौरव गर्ग जेएमएफसी/श्रीमती वंदना सिंह, जेएमएफसी/श्री ऋषिराज मिश्रा, जेएमएफसी/सुश्री वंदना सोनी, जेएमएफसी** क्रमानुसार कथन लेंगे।

// अनुसूची क्रमांक 03 //

महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों एवं लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित अपराधों के धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन अंकित किये जाने हेतु कालम न0 2 में दर्शित आरक्षी केन्द्र अनुसार निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया जाता है :-

क.	आरक्षी केन्द्र	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
01	02	03	04	05
1	कैंट, पनागर, तिलवारा, ए.टी.एस./एस. टी.एफ. स्टेट टाईगर रिजर्व फोर्स इकाई जबलपुर	सुश्री मानसी अग्निहोत्री	सुश्री प्रिंशु मिश्रा	सुश्री सोनाली बंसल
2	खमरिय, विजय नगर, सिविल लाईन सी.बी. आई.	सुश्री ऋतंभरा राजे	सुश्री नेहा सावनेर	सुश्री अपर्णा सोनी
3	कुडम, आंमती, कोतवाली, आर्थिक अपराध जबलपुर एवं व्यापम	सुश्री श्रद्धा सिंह	सुश्री पलक श्रीवारस्तव	सुश्री सिमरन गुप्ता
4	लार्डगंज, राड़ी, हनुमानताल, महिला थाना	सुश्री सिमरन गुप्ता	श्रीमती किरण वर्मा	सुश्री श्रद्धा सिंह
5	माढोताल, बेलबाग, गढा, एस.सी./एस.टी.	सुश्री अपर्णा सोनी	श्रीमती शालिनी मिश्रा शुक्ला	सुश्री ऋतंभरा राजे
6	मदन महल बरगी, गोहलपुर, साईबर कार्डम	सुश्री सोनाली बंसल	सुश्री दीप्ती चौहान	सुश्री मानसी अग्निहोत्री
7	बरेला, भेड़ाघाट, संजीवनी नगर, अपराध थाना	सुश्री स्वाती रघुवंशी	सुश्री श्वेता खरे	सुश्री अकिता त्रिपाठी
8	गोरखपुर, आधारताल, गोराबाजार	श्रीमती मेघा पुरोहित	सुश्री संध्या गर्ग	श्रीमती किरण वर्मा
9	घमापुर, नवारीघाट जौ.आर.पी. आर.पी.एफ. विशेष रेल्वे अधिनियम	सुश्री प्रिंशु मिश्रा	श्रीमती साहंगी दुग्गल	सुश्री याशमी अग्रवाल
10	पाटन शहपुरा	सुश्री मयूरी गुप्ता	श्रीमती शमावी सिंह	सुश्री विजया भारती यादव
11	बेलखेड़ा धरगवाँ	श्रीमती अमृता मिश्रा तिवारी	श्रीमती शमावी सिंह कोपरिहा	श्री नारायण यादव
12	शहपुरा, कटगी	सुश्री विजय भारती यादव	सुश्री मयूरी गुप्ता	श्रीमती अमृता मिश्रा तिवारी
13	मझगवाँ खिरौला	श्रीमती खालिदा तनवीर खान	श्रीमती हिमांशी ठाकुर	सुश्री दीपशिखा दांगी
14	सिहोरा, मझौली गोसलपुर	सुश्री दीपशिखा दांगी	सुश्री रुपा मिश्रा	श्री विशाल रिछारिया

नोट :-

- उपरोक्तानुसार धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कथन लिपिबद्ध करने हेतु अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में उनके प्रभार अनुसार मजिस्ट्रेट कथन ले सकेंगे। धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताके तहत कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र के उन्ही की न्यायालय में विचारण योग्य मामले (सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलों को छोड़कर) कथन हेतु पेश हो तो कमशः अगले प्रभारी कथन लेंगे।
- किन्ही कारणवश किसी आरक्षी केन्द्र का नाम छूट जाता है या किसी आरक्षी केन्द्र का नवीन रूप से गठन होता है तो उक्त आरक्षी केन्द्र केधारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताके कथन (महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले अपराधों एवं लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के कथन को छोड़कर) **सुश्री संध्या गर्ग जे.एम.एफ.सी.** जबलपुर द्वारा लिये जायेंगे।
- उपरोक्त तालिका मे यदि कालम नंबर 03,04,एवं 05 में नामांकित सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाशपर रहते हैं तो उनके स्थान **सुश्री प्रिंशु मिश्रा, जे.एम.एफ.सी./सुश्री मानसी अग्निहोत्री जे.एम.एफ.सी./सुश्री सोनाली बंसल जे.एम.एफ.सी./श्री रविन्द्र धुर्वे जे.एम.एफ.सी./श्री डी.पी. सूत्रकार जे.एम.एफ.सी./कमानुसार कथन लेंगे।**

// अनुसूची क्रमांक - 4 //

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 52 "क" की उपधारा 02 एवं उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जप्तशुदा सामग्री के नमने लिये जाने/प्रेषण किये जाने हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में प्रस्तुत आवेदन के निराकरण हेतु निम्न न्यायिक मजिस्ट्रेट को आरक्षी केन्द्र का आवंटन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.	आरक्षी केन्द्र	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
01	02	03	04	05
1	कैंट, पनागर	श्री रविन्द्र धुर्वे	सुश्री सोनाली बसल	सुश्री अपर्णा सोनी
2	गोरखपुर, महिला थाना	सुश्री अंकिता त्रिपाठी	सुश्री सिमरन गुप्ता	सुश्री श्रद्धा सिंह
3	आधारताल, गोराबाजार	सुश्री प्रिंशु मिश्रा	सुश्री ऋतभरा राजे	सुश्री मानसी अग्निहोत्री
4	बेलबाग, जी.आर.पी. आर.पी.एफ. विशेष रेल्व अधि०	सुश्री मीनाक्षी दंदेलिया खंडेलवाल	सुश्री याशमी अग्रवाल	सुश्री दीप्ती चौहान
5	माढोताल, मदन मदन, अपराध थाना	सुश्री याशमी अग्रवाल	सुश्री अपर्णा सोनी	श्री डी पी सूत्रकार
6	बरेला, हनुमानताल	सुश्री संध्या गर्ग	सुश्री श्रद्धा सिंह	श्रीमती शुभांगी पालो
7	घमापुर, ग्वारीघाट	श्रीमती साहंगी दुग्गल	सुश्री मानसी अग्निहोत्री	श्री रविन्द्र धुर्वे
8	खमरिया, कोतवाली भेडाघाट	श्रीमती हर्षिता जैन	श्रीमती रश्मि मंडलोई	श्रीमती अंकिता शाही
9	रांझी, बरगी, संजीवनी नगर	श्री वरूण चौहान	श्री पंकज सविता	सुश्री ऋचा बटेजा
10	तिलवारा, सिविल लाइन	सुश्री शालिनी मिश्रा शुक्ला	श्रीमती हर्षिता जैन	सुश्री कीर्ति उईके
11	कुंडम, ओमती	श्रीमती स्वाती रघुवंशी	श्रीमती साहंगी दुग्गल	श्री राहुल छत्री
12	गढ़ा, गोहलपुर	श्रीमती किरण वर्मा	श्रीमती मेघा पुरोहित	श्री स्वास्तिक सावंत
13	लार्डगंज, विजय नगर	सुश्री ऋतु प्रजापति	श्रीमती पलक श्रीवास्तव	सुश्री श्वेता खरे
14	पाटन	सुश्री विजया भारती यादव	श्रीमती अमृता मिश्रा	श्री नारायण यादव
15	बेलखेड़ा	सुश्री निधि जैन	सुश्री मयूरी गुप्ता	श्रीमती शभावी सिंह
16	चरगवों	श्रीमती शंभावी सिंह कोपरिहा	श्री नारायण यादव	श्रीमती अमृता मिश्रा तिवारी
17	शहपुरा	श्री नारायण यादव	सुश्री निधि जैन	सुश्री विजया भारती यादव
18	कटंगी	श्रीमती अमृता मिश्रा तिवारी	श्रीमती शंभावी सिंह	सुश्री मयूरी गुप्ता
19	सिहोरा, गोसलपुर	श्री विशाल रिछारिया	श्रीमती हिमांशी ठाकुर	सुश्री दीपशिखा दांगी
20	मझौली, खितौला	सुश्री दीपशिखा दांगी	श्री विशाल रिछारिया	श्रीमती खालिदा तनवीर
21	मझगवों	श्रीमती रूपा मिश्रा	श्रीमती खालिदा तनवीर	श्री विशाल रिछारिया

नोट :-

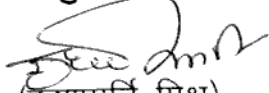
1. उपरोक्तानुसार अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में उनके प्रभार अनुसार मजिस्ट्रेट प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे। उक्त अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करने वाले वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र के या उन्ही की न्यायालय में विचारण योग्य मामले के संबंध में आवेदन पेश किया जाता है तो क्रमशः अगले प्रभारी आवेदन का निराकरण करेंगे।

2. किन्ही कारणवश किसी आरक्षी केन्द्र का नाम छूट जाता है या किसी आरक्षी केन्द्र का नवीन रूप से गठन होता है तो उक्त आरक्षी केन्द्र के द्वारा उक्त अधि. के उपरोक्तानुसार प्रस्तुत आवेदन का निराकरण श्री डी.पी. सूत्रकार जे.एम.एफ.सी. जबलपुर द्वारा किया जायेगा।

3. उपरोक्त तालिका मे यदि कालम नंबर 03,04, एवं 05 में नामांकित सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाशपर रहते हैं तो उनके स्थान पर सुश्री संध्या गर्ग जे.एम.एफ.सी./श्री डॉ. गौरव गर्ग जे.एम.एफ.सी./सुश्री वंदना सोनी जे.एम.एफ.सी./श्रीमती वंदना सिंह जे.एम.एफ.सी. क्रमानुसार उक्तानुसार प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।


(अभिषेक सोनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

अनुमोदित


(कृष्णमूर्ति मिश्र)

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जबलपुर